

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 579 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:- 2020/01183
अनवान :-

1. भरतलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोजीराम पुत्र नन्दराम जाति कुलडिया जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. छोटूराम पुत्र मोजीराम जाति जाट निवासी नया निवासी सिविल लाईन हनुमानगढ
4. आशीष कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी नया सिविल लाईन हनुमानगढ
5. विकास कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी नया सिविल लाईन हनुमानगढ
6. दयाराम पुत्र मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
7. सुरेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
8. राकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
9. सीमादेवी पुत्री मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
10. कृष्णा पुत्री मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
11. सरलादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
12. समेस्ता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
13. शर्मिला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
14. ममता पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
15. सुमन रानी पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 432/422 के खसरा न० 684/3 की कुल 10.8120 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें मोजीराम के पुत्र/पुत्रीयों एवं मोजीराम के पुत्रों के पुत्र/पुत्रीयो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 के पक्ष में किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जाकर अन्य खाता संख्या 18/18 की भूमि रख ली है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व

रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तया कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 बहिय के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता/दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 ता 15 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल निसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 16 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल निसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उमयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 432/422 के खसरा न0 684/3 की कुल 10.8120 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें मौजीराम के पुत्र/पुत्रीयों एवं मौजीराम के पुत्रों के पुत्र/पुत्रीयो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 के पक्ष में किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जाकर अन्य खाता संख्या 18/18 की भूमि रख ली है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 8 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति/राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
बोहर

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 432/422 के खसरा न0 684/3 की कुल 10.8120हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमावन्दी सम्बत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि नन्दराम वल्द चेतनराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा नन्दराम वल्द चेतनराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 6 ता 15 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 6 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 7, 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 ता 15 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या-1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 432/422 के खसरा न0 684/3 की कुल 10.8120हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 2.00हैक् भूमि का वादी तथा 1.00 हैक् भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 3.00 हैक् भूमि का प्रतिवादी संख्या 4, 5 बहिव व 3.00हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिव तथा शेष 1.812हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जावता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिवक्ता (दस्तावेज)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भरतलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोजीराम पुत्र नन्दराम जाति कुलडिया जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. छोटूराम पुत्र मोजीराम जाति जाट निवासी नया सिविल लाईन हनुमानगढ
4. आशीष कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी नया सिविल लाईन हनुमानगढ
5. विकास कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी नया सिविल लाईन हनुमानगढ
6. दयाराम पुत्र मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
7. सुरेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
8. राकेश कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
9. सीमादेवी पुत्री मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
10. कृष्णा पुत्री मोजीराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
11. सरलादेवी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
12. समेस्ता पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
13. शर्मिला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
14. ममता पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
15. सुमन रानी पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 579 सन 2020 निर्णय दिनांक- 16/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोवर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 432/422 के खसरा न0 684/3 की कुल 10.8120 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से 2.00 हैक् भूमि का वादी तथा 1.00 हैक् भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 व 3.00 हैक् भूमि का प्रतिवादी संख्या 4, 5 बहिव व 3.00 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 7, 8 बहिव तथा शेष 1.812 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)